संख्या- 54/2019 / 907 /71-1-2019-जी-46/2018टी0सी0-2

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/890, दिनॉक 13-03-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में विभिन्न मानक मदों में राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में रू0 3,50,00,000/- (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) हेतु विभिन्न मानक मदों में रू0 3,50,00,000/- (रू0 तीन करोड़ पचास लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा तथा जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कर लिया जायेगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-478/दस-2019, दिनॉक 25 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
26/03/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 54/2019, 907 (1)/71-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन।

3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जालौन।

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।

6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–83–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण		वित्तीय वर्ष 2018–19		प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा– 04–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर–					
01–वेतन–	1327.25	150.00	150.00	150.00	1177.25
06–अन्य भत्ते–	132.73	30.00	30.00	30.00	102.73
21–छात्रवृत्तियां एवं छात्रवेतन–	850.00	170.00	170.00	170.00	680.00
योग–	**2309.98**	**350.00**	**350.00**	**350.00**	**1959.98**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05– चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–03–शिक्षा– 02–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन–					
39–औषधि तथा रसायन	300.00	580.00	280.00	280.00	580.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	80.00	150.00	70.00	70.00	150.00
योग–	**380.00**	**730.00**	**350.00**	**350.00**	**730.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर में विभिन्न मानक मदों रू0 350.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन के पत्र संख्या–2542/रा0मे0का0/पर्चेज/2019 दिनांक–14.03.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि चिकित्सा महाविद्यालय में अन्त:/वाह्य रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो प्रतिदिन 1600–1800 पहुँच गयी है जिस हेतु महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को पर्याप्त क्लीनिकल मैटेरियल मरीजों को औषधियां, आक्सीजन सिलेण्डरों पैथोलाजी जॉच हेतु रसायन की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु वर्तमान में रू0 280.00 लाख के लम्बित बिलों का भुगतान तथा कालेज में आने वाले मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु एक्स–रे, सर्जिकल वस्तुऐं, गाज बैन्डेज इत्यादि हेतु रू0 70.00 लाख के बिल लम्बित हैं, इस प्रकार औषधि तथा रसायन हेतु रू0 280.00 लाख तथा सामग्री एवं सम्पूर्ति हेतु रू0 70.00 लाख, कुल रू0 350.00 लाख की मॉग की गयी है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

आ.-ई संख्या–733/ई-3-478/ई6-2019 दिनांक–25.3.19
सेवा में,
महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

25/03/2019

(अखिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(पवित्र कुमार)
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या– 54/2019 /907 /71–1–2019–जी–46/2018टी0सी0–।।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2– कोषाधिकारी, जालौन।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव